न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक) जोधपुर

पीठासीन अधिकारी :– मयंक मनीष आई.ए.एस

राजस्व प्रार्थनापत्र संख्या :– 294/2017

वादीगण :–

1. रईसा बानो पत्नी श्री कमरूदीन,
2. शाहरूख पुत्र श्री कमरूददीन,
3. असलम पुत्र श्री कमरूददीन,
4. वादी संख्या 2 व 3 जरिये कुदरतो वलियामाता श्रीमती रईसा बानो, सभी जातियान् मुसलमान, निवासीगण – ग्राम पालासनी, तहसील व जिला जोधपुर।

बनाम

प्रतिवादीगण :–

1. मोहनलाल पालीवाल पुत्र श्री सुखाराम पालीवाल, जाति पालीवाल, निवासी बीरड़ावास, तहसील व जिला जोधपुर।
2. श्रीमती सुखिया पत्नी स्व. श्री गफूर,
3. कमरूददीन पुत्र स्व. श्री गफूर,
4. दिलदार पुत्र श्री स्व. श्री गफूर,
5. बरकत पुत्र स्व. श्री गफूर,
प्रतिवादी संख्या 2 से 5 जातियान् मुसलमान, निवासीगण ग्राम पालासनी, तहसील व जिला जोधपुर।
6. तहसीलदार, जोधपुर।

वाद बाबत् स्थाई एवं आज्ञापक निषेधाज्ञा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सी.पी.सी.

–: आदेश :– दिनांक 22.01.20

उपस्थिति :– वादी अधिवक्ता श्री ...नारायणसिंह खिलेरी

प्रतिवादी अधिवक्ता सुश्री संजू धाणदिया

वादी ने एक वाद बाबत् स्थाई एवं आज्ञापक निषेधाज्ञा का पेश कर निवेदन किया है कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 2 से 5 के पूर्वज परदादा नब्बू खां की पुश्तेनी राजस्व भूमि खसरा संख्या 431, 432, 434 435, 875 में स्थित है। नब्बू खां के पुत्र हुसैन खां तथा गफूर खां की पुत्रियों द्वारा पूर्व में ही

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट जोधपुर

Scanned by CamScanner

हकर्तक–नामा निष्पादित किया जा चुका है। गफूर खां के वारिसान् द्वारा वादीगण को बिना जानकारी करवाये वादग्रस्त भूमि में से खसरा नं. 875 की 2 बीघा 10 बिस्वा भूमि का विक्रय प्रतिवादी संख्या 1 के हक में कर दिया है जबकि वादग्रस्त भूमि का आज दिन तक किसी प्रकार का कोई बंटवाड़ा नहीं हुआ है। जो भूमि वादीगण की पुश्तैनी भूमि है जिसमें वादीगण का भी हक अधिकार है। प्रतिवादी संख्या 1 नामान्तरकरण भरवाने हेतु उतारू है। अन्त में वादीगण द्वारा प्रतिवादी संख्या 01 के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी करने का निवेदन किया।

प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा अपने अधिवक्ता के जरिये उपस्थिति दर्ज करवाकर एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 07 नियम 11 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीगण द्वारा हस्तगत वाद स्थाई एवं आज्ञापक निषेधाज्ञा हेतु न्यायालय हाजा के समक्ष इस आशय का प्रस्तुत किया है कि वादग्रस्त भूमियां वादीनी सं. 1 के दादी ससूर तथा बकाया वादी के परदादा नब्बू खां की पुस्तैनी जयदाद है, जिनके वारीसान के मध्य हकर्तनामा भी हो चुका है । गफूर खां के वारीसान द्वारा खसरा नं. 875 में से 2 बीघा 10 बिस्वा भूमि का विक्रय मोहनलाल पालीवाल के हक में किया जा चुका है, जिसकी वादीगण को न तो कोई सूचना दी गई एवं न ही सहमती ली गई जबकि वादीगण का हक, हिस्सा विद्यमान है। वादग्रस्त जायदाद का आज दिन तक कोई बंटवाड़ा नहीं हुआ है। बेचान की जानकारी होने पर वादीगण द्वारा हल्का पटवारी एंव तहसीलदार के समक्ष म्यूटेशन भरने बाबत् आपत्ति की गई, अन्त में वादीगण द्वारा स्थाई निषेधाज्ञा के अनुतोष की मांग की गई। वादीगण द्वारा वादग्रस्त जायदाद में स्वयं के हक व अधिकार वादग्रस्त जायदाद के पुस्तैनी होने के आधार पर दर्शाये जाने का प्रयास किया गया है तथा स्वयं को प्रतिवादी सं. 3 कमरूद्दीन जीवित है। मुस्लिम विधिनुसार किसी मृतक की सम्पदा के संबंध में उत्तराधिकार के नियम निश्चित है तथा हिस्सा भी निश्चित है, जिसके अनुसार ही सम्पत्ति प्राप्त करने के अधिकारी होते है। मुस्लिम विधिनुसार वादीगण का वादग्रस्त भूमि में किसी प्रकार का कोई हक, हिस्सा है ही नहीं। ऐसी स्थिति में वादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत करने का अधिकार भी नहीं है। ऐसी स्थिति में वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद विधिनुसार बाधित होने के कारण निरस्त योग्य है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद विधिनुसार पोषणीय नहीं है। विधिनुसार एक अजनबी व्यक्ति द्वारा घोषणात्मक वाद प्रस्तुत किये बिना रेकॉर्डेड खातेदार के विरूद्ध केवल मात्र स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत ही नहीं किया जा सकता है। स्वीकृत रूप से वादीगण द्वारा आज दिन तक अपने खातेदारी अधिकारों की घोषणा हेतु किसी प्रकार का कोई वाद प्रस्तुत ही नहीं किया गया है, जिस कारण वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद विधि द्वारा बाधित होने के कारण निरस्त योग्य है। विधिनुसार वादी को अपना वाद पत्र दो प्रतियों में प्रस्तुत करना आज्ञाकारी प्रावधान है किन्तु वादीगण द्वारा मौजूदा वाद दो प्रतियों में प्रस्तुत नहीं किया गया है ऐसी स्थिति में वादीगण द्वारा विधि के बाध्यकारी प्रावधानों की पालना नहीं की गई है जिस

Yn

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक)
जोधपुर

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक) जोधपुर

Scanned by CamScanner

कारण वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद विधिनुसार पोषणीय नहीं होने के कारण निरस्त योग्य है। प्रत्येक अभिवचनों का सत्यापन किया जाना भी विधिनुसार आवश्यक है। वाद पत्र के अवलोकन से यह सिद्ध है कि वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद का विधिवत रूप से सत्यापन भी नहीं किया गया, जिस कारण वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद विचारण किये जाने योग्य नहीं होने के कारण विधि द्वारा बाधित है। ऐसी स्थिति में वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद निरस्त योग्य है।

वादी की ओर से बावजूद सूचना कोई उपस्थित नहीं। न ही जवाब प्रस्तुत किया गया। बहस प्रतिवादी संख्या 1 सुनी गयी। पत्रावली तथा सम्बंधित विधि एवं प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत न्याय दृष्टांत का अवलोकन किया। वाद पत्र के अवलोकन से यह सिद्ध है कि वादीगण द्वारा हस्तगत वाद इस आधार पर प्रस्तुत किया गया है कि वादग्रस्त जायदाद उनकी पैतृक जायदाद है जिस आधार पर वादीगण का भी हक अधिकार वादग्रस्त जायदाद में निहित है। प्रतिवादी संख्या 3 कमरूद्दीन उनका पूर्व पुरुष है। पत्रावली के अवलोकन से तथा वादीगण के अभिवचनों से यह सिद्ध है कि वादीगण शरियत विधि से शासित होते है तथा उसी आधार पर वादीगण का वादग्रस्त जायदाद में हिस्सा होना भी जाहिर किया गया है। संबंधित विधि का अवलोकन करने से यह स्पष्ट हो रहा है कि मुस्लिम विधि अनुसार किसी भी व्यक्ति को जन्म से हक व अधिकार निहित ही नहीं होता है। मुस्लिम उत्तराधिकार नियमों से भी मृतक की सम्पदा के संबध में उत्तराधिकार के नियम निश्चित है तथा हिस्सा भी निश्चित है जिसके अनुसार किसी मृतक की सम्पदा में 2/3 हिस्सा उसके पुरुष पुत्रों के मध्य तथा 1/3 हिस्सा पुत्र एवं पुत्रियों का अवशिष्ट के रूप में हिस्सा निहित होता है। उक्त सूची में पुत्र के जिवित रहते हुए पौत्र एवं पुत्रवधु का कोई हिस्सा दर्शाया हुआ नहीं है ऐसी स्थिति में प्रतिवादी संख्या 3 कमरूद्दीन के जीवनकाल में मृतक नब्बू खां तथा गफूर खां की जायदाद बाबत वादीगण का कोई हक एवं अधिकार होना मुस्लिम विधि अनुसार दर्शित नहीं होता है। वादीगण वादग्रस्त जायदाद के रिकॉर्डेड खातेदार नहीं है ऐसी स्थिति में हस्तगत वाद भी निरस्त योग्य हैं जहां तक वाद का दो प्रति में प्रस्तुत करना आवश्यक है इस संबंध में धारा 26 दीवानी प्रक्रिया संहिता के अनुसार वाद का दो प्रति में प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है तथा उसकी पालना नहीं किये जाने पर आदेश 7 नियम 11 (E) दीवानी प्रक्रिया संहिता के अनुसार वाद निरस्त योग्य है। स्वीकृत रूप से वादी द्वारा विधि के उपरोक्त बाध्यकारी प्रावधान की पालना नहीं की गयी है एवं न ही वादी द्वारा विधिवत रूप से अपने अभिवचनों का सत्यापन भी किया है। अपने कथनों के संबंध में मुस्लिम विधि के लेखक मुल्ला की पुस्तक तथा माननीय राज. उच्च न्यायालय द्वारा एस.बी. सिविल प्रथम अपील संख्या 829/2017 ब अनुवान शानु खान सुल्तान खां वगैरह निर्णय दिनांक 7.5.2018 की प्रति भी प्रस्तुत की। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय का ससम्मान अवलोकन किया तथा मार्गदर्शन प्राप्त किया जिस प्रकरण के तथ्य तथा हस्तगत प्रकरण के तथ्य समान होने के कारण पूर्णतः चस्पा होता है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अपने

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक)
जोधपुर

उपरोक्त निर्णय के पृष्ठ संख्या 3 में भी यही निर्णित किया गया है "In Muslim law, so long as a person is alive he or she is the absolute owner of his or her property and , in it. It is only when the owner dies and never before-that the legal rights of the heirs accrue." जिसके अनुसार एक मुस्लिम अपने जीवनकाल तक जायदाद का एकल स्वामी रहता है। उसके जीवनकाल में अन्य किसी को (उसके पुत्र को भी) उक्त जायदाद में किसी प्रकार का कोई हक व अधिकार नही रहता है। इसी प्रकार माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय के पृष्ठ संख्या 4 में भी यही अवधारित किया गया है कि "Under Muslim Law, no person has a right in the property by birth. It is known that there is no such thing as 'joint family' among the Muslims. So long as the father is alive, the children do not possess any right in the property. It is only on the death of the father, the children living at that time would inherit. However, if any son dies earlier to the father, then the son's issues would not succeed to the father of the deceased son. Principle of 'representation' is entirely unknown to this Law governing the Muslims. Right of inheritance arises on the death of the person owning the property and the question of devolution of inheritance rests entirely decided at that point of time when the person through whom the heirs claim dies. उपरोक्त विवेचन तथा संबंधित विधि एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रदान किये गये मार्गदर्शन के अनुसार मेरी विनम्र राय में वादीगण वादग्रस्त जायदाद को स्वयं की पुस्तैनी जायदार होना कथन कर रहे है। वादपत्र के अवलोकन से भी यह स्पष्ट है कि वादीगण प्रतिवादी संख्या 3 कमरूद्दीन के पुत्र तथा पत्नी है। जिस कारण उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रतिवादी संख्या 3 के जीवनकाल में वादीगण को वादग्रस्त जायदाद के बाबत किसी प्रकार के कोई अधिकार सृजित नहीं होते है जिस कारण वादीगण द्वारा प्रस्तुत मौजूदा वाद विधि अनुसार पोषणीय नहीं होने के कारण अस्वीकार योग्य है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद विधि द्वारा बाधित होने के कारण अस्वीकार किया जाता है।

(मंयक मनीष)आई.ए.एस
सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट ट्रेक) जोधपुर

आदेश आज दिनांक 22/01/20 को खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(मंयक मनीष) आई.ए.एस
सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक)
(फास्ट ट्रेक) जोधपुर

Scanned by CamScanner

अन्तिम डिगरी बमुकदमें इब्तदाई

आज अदालत न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक) जोधपुर व इजलास मंयक मनीष. (आई.ए.एस.)

वादीगण :–

1. रईसा बानो पत्नी श्री कमरूदीन,
2. शाहरूख पुत्र श्री कमरूददीन,
3. असलम पुत्र श्री कमरूददीन,
4. वादी संख्या 2 व 3 जरिये कुदरतो वलियामाता श्रीमती रईसा बानो, सभी जातियान् मुसलमान, निवासीगण – ग्राम पालासनी, तहसील व जिला जोधपुर।

बनाम

प्रतिवादीगण :–

1. मोहनलाल पालीवाल पुत्र श्री सुखाराम पालीवाल, जाति पालीवाल, निवासी बीरड़ावास, तहसील व जिला जोधपुर।
2. श्रीमती सुखिया पत्नी स्व. श्री गफूर,
3. कमरूददीन पुत्र स्व. श्री गफूर,
4. दिलदार पुत्र श्री स्व. श्री गफूर,
5. बरकत पुत्र स्व. श्री गफूर,

   प्रतिवादी संख्या 2 से 5 जातियान् मुसलमान, निवासीगण ग्राम पालासनी, तहसील व जिला जोधपुर।
6. तहसीलदार, जोधपुर।

वाद बाबत् स्थाई एवं आज्ञापक निषेधाज्ञा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सी.पी.सी.मुकदमा नम्बर 294 / 2017 यह मुकदमा वास्ते इनकिलास कतई रूबरू हमारे वादीगण के अधिवक्ता सुश्री संजु धाणदिया, एवं ..... अधिवक्ता प्रतिवादीगण पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वाद अन्तिम रूप से डिक्री दी जाती है कि :– वादीगण द्वारा प्रस्तुत मौजूदा वाद विधि अनुसार पोषणीय नहीं होने के कारण अस्वीकार योग्य है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद विधि द्वारा बाधित होने के कारण अस्वीकार किया जाता है।

लीज .....×..... मुबलिक .....×..... बाबत .....×.....खर्चा इस मुकदमें के मय सुद वगैरह ..... ×..... की सदी सलाना आज तारीख से तारीख वसूलयाबी तक .....×...को अदा करें।

अन्तिम डिक्री मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत आज तारीख 22/01/20 की जारी की गई।

MN
(मंयक मनीष)
आई.ए.एस
सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक)
(फास्ट ट्रेक) जोधपुर

मुदाई	रूपया	पैसे	मुदायलाह	रूपया	पैसे
स्टाम्प जारी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत खर्चा अहवान् बाबत् दजराय हुक्मनामा मतफरिक			स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अरजी मेहनताना वकिल फीस कमिश्नर बाबत् दजराय हुक्मनामा मतफरिक		

MN
(मंयक मनीष)
सहायक कलकटर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट ट्रेक) जोधपुर

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Mayank Manish
Date: 2020.01.31 16:13:22 IST
Reason: SelfAttested
Location: